

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20112021-231270
SG-DL-E-20112021-231270

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 263
No. 346]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943	[N. C. T. D. No. 263

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

संख्या 04/2021-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(122)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/314.-दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (व्यय-IV) की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, मद (iv) में, कॉलम (3) में, उप मद (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में, उप मद (च) में निर्दिष्ट सेवा विवरण पर राज्य कर, कॉलम (4) में निर्दिष्ट दर के बावजूद, 2.5% की दर से लगेगा।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381., दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021-राज्य कर (दर), दिनांक: 16 नवम्बर, 2021, जिसे सं. फा. 03(122)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस-IV/306, दिनांक: 16 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2021

No. 04/2021-State Tax (Rate)

No. F.3(122)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/314 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the Table, in serial number 3, in column (3), in item (iv), after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

“ *Provided* that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the State tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in column (4), be levied at the rate of 2.5 per cent.”;

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Sec.-I (Finance)

Note: - The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part-IV vide No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 02/2021 - State Tax (Rate), dated the 16th November, 2021 vide No. F.3(110)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/306, dated the 16th November, 2021.